

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020-आश्विन 24, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
M.P. High court Premises, Jabalpur-482007 (M.P.)

SBCOFMP/Supdt/Election/56/2020.

NOTIFICATION

The 9th Oct, 2020

It is hereby notified for general information of all concerned and as required under rule 30 (3) of State Bar Council of Madhya Pradesh Election Rules 1968, The following candidates have been declared elected as Members of State Bar Council of Madhya Pradesh in the election held on 17th Jan 2020.

Sr.	Name	Address with Place
1.	MANISH DATT Sr. Advocate	1166 NAPIER TOWN, NEAR FORTH BRIDGE, JABALPUR.
2.	VIVEK SINGH Advocate	1/3 SOUTH TUKOGANJ NAMLI KOTHI COMPOUND, INDORE.
3.	MANISH TIWARI Advocate	196 NAPIER TOWN, NEAR SHATRI BRIDGE, JABALPUR
4.	SUNIL GUPTA Advocate	1518 SECTOR-D, SUDAMA NAGAR, INDORE
5.	SHIVENDRA UPADHYAY Advocate	NARENDRA NAGAR, CIVIL LINES, REWA
6.	RAMESHWAR PRASAD NEEKHRA Sr. Advocate	RADHA BALLABH WARD, GADARWARA
7.	PRATAP MEHTA Advocate	21 DASHERA MAIDAN, UJJAIN

Sr.	Name	Address with Place
8.	HITOSHI JAY HARDIA (JAY HARDIA) Advocate	136/1 PIPLIYARAO, INDORE
9.	JAGANNATH TRIPATHI Advocate	143/1 BEOHAR BAGH, BEHIND PANDEY HOSPITAL, JABALPUR.
10.	R K SINGH SAINI Advocate	1762/9 SANGAM SADAN, NEW SHOBHAPUR COLONY, JABALPUR.
11.	NARENDRA KUMAR JAIN Advocate	E-2/5 NARMADA COLONY, SCHEME NO.-78, INDORE
12.	AKHAND PRATAP SINGH Advocate	UPRAN NAGAR, BODABAG, REWA
13.	VIJAY KUMAR CHAUDHARY Advocate	E2-144 ARERA COLONY, BHOPAL
14.	AHADULLA USMANI Advocate	693 BADI OMTI CHOWK, MAIN ROAD, JABALPUR
15.	RAJESH VYAS Advocate	VYAS COMPLEX, ZONE 02, MPNAGAR, BHOPAL
16.	RADHE LAL GUPTA Advocate	SHILA TALKIES COMPOUND, SOUTH CIVIL LINES, JABALPUR.
17.	JAI PRAKASH MISHRA Advocate	BEHIND KARTAR HOTEL, ROXY PUL, KAMPOO LASHKAR, GWALIOR.
18.	RASHMI RITU JAIN Advocate	123 VEER BHAVAN, VARNI COLONY, SAGAR
19.	PREM SINGH BHADOURIA Advocate	KESHARKUTI, SHIVAJI NAGAR, AMKHO, GWALIOR.
20.	DINESH NARAYAN PATHAK Advocate	PATHAK SADAN, CIVIL LINES, BANGANGA ROAD, SHAHDOL.
21.	MRIGENDRA SINGH Sr. Advocate	407, SOUTH CIVIL LINES, JABALPUR
22.	RAJESH KUMAR PANDEY Advocate	PARKOTA, CHATURBHUJ GHAT, SAGAR
23.	JITENDRA KUMAR SHARMA Advocate	D-13, DWARIKAPURI, NEAR KHEDA PATI HANUMANJI, GWALIOR.
24.	RAJESH KUMAR SHUKLA Advocate	A-4 SHRIRAM NAGAR COLONY, NEAR BHACHPAN HOS- PITAL, THATIPUR, GWALIOR.
25.	SHAILENDRA VERMA (GUDDA)	347 KACHNAR GOURAV, NEAR SHASTRI BRIDGE, NAPIER TOWN, JABALPUR.

PRASHANT DUBEY,
Secretary.

(300-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम निलेश जाधव (Nilesh Jadhav) पिता शिवाजीराव जाधव (Shivajirao Jadhav) था तथा मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा यही नाम अंकित है. वर्तमान में मेरा नाम परिवर्तित कर नीलेश जाधव (Neelesh Jaadhav) पिता शिवाजीराव जाधव (Shivajirao Jaadhav) कर लिया गया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(निलेश जाधव)
(Nilesh Jadhav)
पिता-शिवाजीराव जाधव,
(Shivajiro Jadhav)

नया नाम :

(नीलेश जाधव)
(Neelesh Jaadhav)
पिता-शिवाजीराव जाधव,
(Shivajiro Jaadhav)
1181-ई, स्कीम नंबर 51,
इन्दौर-452006 (म.प्र.).

(306-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र दिव्यांशु सिंह (DIVYANSHU SINGH) के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शालू सिंह (SHALU SINGH) भूलवश अंकित हो गया है. जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड,

वोटर कार्ड, मार्कशीट आदि में मेरा नाम शैलेश सिंह (SHAILESH SINGH) अंकित है। चूंकि शैलेश सिंह एवं शालू सिंह उक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं जो एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मेरा नाम शालू सिंह (SHALU SINGH) के स्थान पर शैलेश सिंह (SHAILESH SINGH) लिखा पढ़ा व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(शालू सिंह)
(SHALU SINGH)

(307-बी.)

नया नाम :

(शैलेश सिंह)
(SHAILESH SINGH)

पत्नी-श्री देव प्रकाश सिंह,
निवासी-571-बी, सुरेश नगर, थाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

Aziz S/o Mustafa hereby declare that I have changed my name as AZEEZ ALI S/o MUSTAFA So, from now and in future I will be known by my new name AZEEZ ALI S/o MUSTAFA.

Old Name :

(AZIZ)
S/o MUSTAFA.

(311-B.)

New Name :

(AZEEZ ALI)
S/o MUSTAFA
Address.-1156-1157, Noorani Nagar,
Dhar Road, Indore-452002 (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र कुमार चौधरी पिता श्री रामलाल, माता श्रीमती बुन्दी उम्र-35 वर्ष, जन्मतिथि 05-01-1984 निवासी ग्राम कुदरा टोला (चोरमरा) पोस्ट खन्नौधी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) का निवासी हूँ, मैं, अपना मौजूदा नाम उप नाम राजेन्द्र कुमार चौधरी को बदलकर बी. आर. राजेन्द्र (B. R. Rajendra) कर रहा हूँ, मेरे इस नये नाम में B से मेरी माता श्रीमती बुन्दी का नाम प्रदर्शित हो रहा है और R से मेरे पिता श्री रामलाल जी का नाम प्रदर्शित हो रहा है। आज से मेरे शासकीय, गैर शासकीय, व्यवहारिक व सामाजिक क्षेत्रों में मेरे नये नाम बी. आर. राजेन्द्र (B. R. Rajendra) के नाम से लिखित व मौखिक रूप से मुझे जाना, पहचाना व पुकारा जाये।

पुराना नाम :

(राजेन्द्र कुमार चौधरी)

(312-बी.)

नया नाम :

(बी. आर. राजेन्द्र)
(B.R. Rajendra)
पिता-श्री रामलाल,
निवासी-ग्राम कुदरा टोला (चोरमरा),
पोस्ट खन्नौधी, तहसील गोहपारू,
जिला शहडोल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, कीर्ति नीरज पिता श्री एस. के. नीरज, माता श्रीमती संतोष, उम्र 32 वर्ष, जन्मतिथि 09-08-1986, निवासी पवार गैस गोदाम के पीछे बरा मोहल्ला, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) की निवासी हूँ, मैं अपना मौजूदा उप नाम 'नीरज' को बदलकर 'राज' (RAJ) कर रही हूँ, मेरे इस नये नाम में RAJ से मेरे पति राजेन्द्र का नाम प्रदर्शित हो रहा है। आज से मेरे सभी शासकीय, गैर शासकीय, व्यवहारिक व सामाजिक क्षेत्रों में मेरे नये नाम कीर्ति राज (KIRTI RAJ) पत्नी श्री बी. आर. राजेन्द्र (B.R. RAJENDRA), पता ग्राम कुदराटोला (चोरमरा) पोस्ट गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.)के नाम से लिखित व मौखिक रूप से मुझे जाना, पहचाना व पुकारा जाये।

पुराना नाम :

(कीर्ति नीरज)

(313-बी.)

नया नाम :

(कीर्ति राज)
(KIRTI RAJ)
पत्नी-श्री बी. आर. राजेन्द्र,
(B.R. Rajendra)
निवासी-ग्राम कुदरा टोला (चोरमरा),
पोस्ट गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अजय चौरसिया पुत्र श्री हरीशंकर चौरसिया सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम अजय चन्द चौरसिया था. जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 202487838 एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा पूर्व का नाम अजय चन्द चौरसिया लिखा गया है. जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि में मेरा नाम अजय चौरसिया अंकित है एवं भविष्य में भी मैं अजय चौरसिया के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा. अजय चन्द चौरसिया एवं अजय चौरसिया मेरे ही नाम है, अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 202487838 एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा सही नाम अजय चौरसिया पुत्र श्री हरीशंकर चौरसिया लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(अजय चन्द चौरसिया)

(315 -बी.)

नया नाम :

(अजय चौरसिया)

पुत्र-श्री हरीशंकर चौरसिया,
पता-चौरसिया कॉलोनी, नादरिया की माता के पास गुडा,
कम्पू, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, सेजल गुप्ता पुत्री श्री रवि गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का गौत्र नाम बुलबुल सिजरिया था. जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200345321 में मेरा पूर्व का नाम बुलबुल सिजरिया लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि में मेरा नाम सेजल गुप्ता अंकित है एवं भविष्य में भी मैं, सेजल गुप्ता के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. बुलबुल सिजरिया एवं सेजल गुप्ता मेरे ही नाम है, अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200345321 में मेरा सही नाम सेजल गुप्ता पुत्री श्री रवि गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(बुलबुल सिजरिया)

(316 -बी.)

नया नाम :

(सेजल गुप्ता)

पुत्री-श्री रवि गुप्ता,
पता-164, लोहिया बाजार, गिर्द, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, रवि गुप्ता पुत्र श्री बृजकिशोर गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का गौत्र नाम रवि सिजरिया था. जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200357617 में मेरा पूर्व का नाम रवि सिजरिया लिखा गया है. जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि में मेरा नाम रवि गुप्ता अंकित है एवं भविष्य में भी मैं, रवि गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा. रवि सिजरिया एवं रवि गुप्ता मेरे ही नाम है, अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200357617 में मेरा सही नाम रवि गुप्ता पुत्र श्री बृजकिशोर गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(रवि सिजरिया)

(317 -बी.)

नया नाम :

(रवि गुप्ता)

पुत्र-श्री बृजकिशोर गुप्ता,
पता-164, लोहिया बाजार, गिर्द, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, साधना गुप्ता पत्नी श्री रवि गुप्ता सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का गौत्र नाम साधना सिजरिया था जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200376123 में मेरा पूर्व का नाम साधना सिजरिया लिखा गया है. जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि में मेरा नाम साधना गुप्ता अंकित है एवं भविष्य में भी मैं साधना गुप्ता के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. साधना सिजरिया एवं साधना गुप्ता मेरे ही नाम है, अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200376123 में मेरा सही नाम साधना गुप्ता पत्नी श्री रवि गुप्ता लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(साधना सिजरिया)

(318 -बी.)

नया नाम :

(साधना गुप्ता)

पत्नी-श्री रवि गुप्ता,
पता-164, लोहिया बाजार, गिर्द, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति सोनल मालवीय पत्नी श्री आशीष मालवीय हूँ, विवाह के पूर्व मेरा नाम पूजा सूर्यवंशी था। विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती सोनल मालवीय हो गया है। सभी सरकारी विभाग/अंकसूची/दस्तावेजों में पूजा सूर्यवंशी के स्थान पर श्रीमती सोनल मालवीय पढ़ा एवं लिखा जावे। अब मुझे श्रीमती सोनल मालवीय से जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(पूजा सूर्यवंशी)

(322 -बी.)

नया नाम :

(सोनल मालवीय)

पता-73, परस्पर कॉलोनी, रिलायंस फ्रेश के पीछे,
चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल 462016 (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, व्यंकटराव देशमुख S/O काशीराव जो कि व्यंकटराव व्यवहारे (VYANKATRAO VYAWAHARE) के नाम से भी जाना जाता हूँ, देशमुख और व्यवहारे यह दोनों मेरे ही उपनाम हैं। यह कि भविष्य में मुझे व्यंकटराव व्यवहारे (VYANKATRAO VYAWAHARE) के नाम से ही जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(व्यंकटराव देशमुख)

(324 -बी.)

नया नाम :

(व्यंकटराव व्यवहारे)
(VYANKATRAO VYAWAHARE)

निवासी-92, इंद्रपुरी कॉलोनी,
धार-454001 (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पॉलिसी नं. 201062844 में मेरा नाम रेनु मंगल अंकित है। मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में मेरा नाम रितु प्रेमी (RITU PREMY) अंकित है। अतः मुझे रितु प्रेमी पत्नी श्री केशव प्रेमी के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(रेनु मंगल)

(325-बी.)

नया नाम :

(रितु प्रेमी)

पत्नी-श्री केशव प्रेमी,
पता-प्रेमी हाउस, कस्तूरबा नगर,
गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम धर्मेन्द्र कुमार गुजराती है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों (शेयर सर्टिफिकेट) में मेरा नाम धरमान्द गुजराती लिखा गया है, जो कि मेरा ही नाम है। अतः जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम धरमान्द गुजराती लिखा हुआ है, उन सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम धर्मेन्द्र कुमार गुजराती लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(धरमान्द गुजराती)
(DHARMAND GUJARATI)

(331 -बी.)

नया नाम :

(धर्मेन्द्र कुमार गुजराती)
(DHARMENDRA KUMAR GUJRATI)

66, जानकी नगर मेन, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा घरू नाम शिवम भदौरिया था। जबकि मेरा सभी दस्तावेजों वोटर कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड में शिवलखन सिंह भदौरिया नाम है।

अतः भविष्य में मुझे शिवलखन सिंह भदौरिया के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(शिवम भदौरिया)

पुत्र-श्री रामलखन सिंह भदौरिया

(304 -बी.)

नया नाम :

(शिवलखन सिंह भदौरिया)

पुत्र-श्री रामलखन सिंह,
निवासी-शिव कॉलोनी गली नंबर 5,
गुढा लश्कर, ग्वालियर.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अजय कुमार जैन पिता जवाहर लाल जी जैन, निवासी जवाहर मार्ग बदनावर, जिला धार (म.प्र.) का नाम पासपोर्ट में अजय कुमार मंडलेचा है तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार कार्ड) एवं मतदाता परिचय पत्र (वोटर आईडी) व आयकर विभाग (पैनकार्ड) में अजय कुमार जैन है, वास्तव में मंडलेचा उनका उपनाम है व जैन उनकी जाति है, अजय मंडलेचा, अजय जैन एवं अजय कुमार जैन तीनों एक ही नाम है. उन्हें तीनों नाम से जाना व पहचाना जाता है. आगे से अजय कुमार जैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अजय मंडलेचा/अजय कुमार मंडलेचा/अजय जैन)

(305 -बी.)

नया नाम :

(अजय कुमार जैन)
(AJAY KUMAR JAIN)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सरोज नामदेव पिता श्री यमुना प्रसाद नामदेव ग्राम व पोस्ट- मझौली, तहसील मझौली, जिला सीधी की पुस्तैनी निवासी हूँ. मेरी शादी (विवाह) श्री राजमणि सिंह के साथ हुई है.

जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सरोज नामदेव पिता श्री यमुना प्रसाद नामदेव दर्ज है. मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मुझे लोग श्रीमती सरोज सिंह पति श्री राजमणि सिंह के नाम से जाने तथा भविष्य में हर क्षेत्र में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में श्रीमती सरोज सिंह पति श्री राजमणि सिंह अंकित (दर्ज) किया जाये.

पुराना नाम :

(सरोज नामदेव)
पिता-श्री यमुना प्रसाद नामदेव,
ग्राम+पोस्ट- मझौली, तहसील मझौली,
जिला- सीधी (म.प्र.)

(328-बी.)

नया नाम :

(सरोज सिंह)
पति-श्री राजमणि सिंह,
वार्ड नं. 07, नगर परिषद-मझौली
जिला- सीधी (म.प्र.) पिन- 486666.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है विनायक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी फर्म सागर में दिनांक 19-10-2019 से भागीदार क्रमांक 01 सचिन शुक्ला एवं भागीदार क्रमांक 02 योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान फर्म से अलग हो रहे हैं एवं आज दिनांक 19-10-2019 से फर्म विनायक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी सागर में भागीदार क्रमांक 01 सुधीर कुमार शुक्ला एवं भागीदार क्रमांक 02 देवेन्द्र अग्रवाल शामिल हो रहे.

मे. विनायक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी,

सचिन शुक्ला,

(पार्टनर)

(309-बी.)

परकोटा मिल, सागर (म.प्र.).

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म में मेसर्स क्रियेटिव इंजीनियर्स दिनांक 01-02-2020 से भागीदार क्र.1 मुकेश तिवारी क्र. 2. मनोज कुमार लारिया, क्र. 3 राजकुमार दुबे क्र.4 देवेश शांडिल्य फर्म से अलग हो रहे हैं एवं दिनांक 01-02-2020 से दिनेश पाराशर एवं रामकृपाल फर्म में जुड़ रहे हैं.

मेसर्स क्रियेटिव इंजीनियर्स,

राजकृपाल मिश्रा,

(भागीदार)

(310-बी.)

VIII Ramvan Pipariya (Dhana),

Distt. Sagar (M.P.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. दिव्यांशी ट्रेक्टर्स सागर रोड, छतरपुर म.प्र. जो कि दिनांक 23-09-2011 को तीन भागीदार 1. श्री रविशंकर मिश्रा तनय श्री राम सेवक मिश्रा, 2. श्री विवेक निधि घोष तनय श्री हरि सिंह घोष, 3. श्री बृजेश तिवारी तनय श्री जगदीश तिवारी सभी निवासी-छतरपुर मध्यप्रदेश सभी ने आपसी सहमति से एक भागीदारी फर्म /डीड का पंजीयन फर्मों के रजिस्ट्रार असिस्टेंट

रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी सागर में क्रमांक 06/12/01/00119/11 से दिनांक 05-12-2011 पंजीकृत कराया था. उक्त पश्चात् उक्त भागीदारी मर्ग में दिनांक 10-08-2018 को संशोधित डीड लिखी गई. जिसमें क्रमांक 03 में भागीदार बृजेश तिवारी तनय श्री जगदीश तिवारी को पृथक् कर दिया गया, उसके बाद से फर्म अपना कारोबार दो भागीदारों के माध्यम से करती रही है.

लेकिन अब फर्म में मे. दिव्यांशी ट्रेक्टर्स सागर, रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश का कारोबार फर्म विच्छेद दिनांक 15-11-2019 को कर दिया गया है.

इस दिनांक से दोनों भागीदार या अन्य कोई भी व्यक्ति इस फर्म के नाम से कोई कारोबार या लेनदेन करता है तो वह इसका उत्तरदायी होगा.

मे. दिव्यांशी ट्रेक्टर्स सागर रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश का फर्म रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु एक आवेदन सागर फर्म व सोसायटी कार्यालय में दिनांक 20-11-2019 को दे दिया गया था.

मे. दिव्यांशी ट्रेक्टर्स,

1. रविशंकर मिश्रा तनय राम सेवक मिश्रा,

2. विवेक निधि घोष तनय हरि सिंह घोष,

(भागीदार)

सागर रोड, छतरपुर.

(308-बी.)

PUBLIC NOTICE

Know all men that the firm M/s AARADHYA AGRO, Jabalpur [Reg. No. 04/14/01/0257/15 Year 2014-15 Dt. 19-Feb-2015] formed on 12-06-2014 with 3 partners. That Shyam Sohaney and Brajesh Sohaney joined the firm on 10-07-2020 w.e.f. 01-04-2020 and just after admission of both partners Shyam Sohaney HUF and Brajesh Sohaney HUF retired from firm. Now the firm has 3 partners as Aman Sohaney, Shyam Sohaney and Brajesh Sohaney.

For-M/s AARADHYA AGRO,

Shyam Sohaney,

(Partner).

(314-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मातोश्री एसोसियेट्स पता- मकान नं. 25, नाखरे गली गोपालगंज, सागर म.प्र. पंजीयन क्रमांक 06/09/00089/14, दिनांक 15-09-2014 जिसमें भागीदार श्री संजय चतुर्वेदी (चौबे) श्री रमेश पाराशर जिसमें से दिनांक 01-10-2019 भागीदार श्री संजय चतुर्वेदी (चौबे) श्री रमेश पाराशर अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-10-2019 से श्रीमती नवीता सिलाकारी पत्नी श्रीकांत सिलाकारी भागीदारी के रूप में सम्मिलित हुये हैं एवं इसी दिनांक 01-10-2019 से फर्म का कार्यालय मकान नं. 25 नाखरे गली गोपालगंज, सागर से परिवर्तित कर नवीन स्थान 344 सिलाकारी फर्म कोतवाली रोड चकराघाट वार्ड, सागर म.प्र. से संचालित किया जायेगा. वर्तमान में फर्म में दो साझेदार श्री श्रीकांत सिलाकारी पुत्र श्री रसिक बिहारी एवं श्रीमती नवीता सिलाकारी पत्नी श्रीकांत सिलाकारी भागीदारी के रूप में फर्म का संचालन करते रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स मातोश्री एसोसियेट्स,

श्रीकांत सिलाकारी,

(भागीदार)

(319-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स अंजनी स्टोन क्रेशर जो 218 एम.एच. चौराहा, ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 173/20 एवं दिनांक 06-10-2020 है जो दिनांक 01-04-2019 से प्रभावशील है जिसमें दिनांक 03-08-2019 का (1) श्री प्रमोद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री माणिक चंद अग्रवाल निवासी- खेरापति कॉलोनी ग्वालियर, (2) श्री दिलप्रीत सिंह सचदेवा पुत्र श्री तरविंदर पाल सिंह निवासी- गोले का मंदिर ग्वालियर, (3) श्री जसमीत सिंह जुनेजा पुत्र श्री कनवर जीत सिंह जुनेजा निवासी- गोले का मंदिर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदारों के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स-अंजनी स्टोन क्रेशर,

दिनेश भदौरिया,

(भागीदार).

(320-बी.)

एम. एच. चौराहा, ग्वालियर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एमएस सोया इंडस्ट्रीज जिसका पंजीयन क्रमांक 07/34/01/0095/18 दिनांक 18-12-2018 में पंजीकृत है जो बंगला नं. 37, शांति निकेतन, ग्राउण्ड फ्लोर, जैन कॉलोनी, नीमच (म.प्र.) में स्थित है, जिसमें दिनांक 01-04-2020 को (1) श्रीमती सूरज कान्ता चौपड़ा पत्नी श्री शांतिलालजी चौपड़ा निवासी- बंगला नं. 37, शांति निकेतन, जैन कॉलोनी, नीमच (म.प्र.), (2) श्रीमती रानी चौपड़ा पत्नी मनीष कुमारजी चौपड़ा निवासी- राज कॉलोनी, स्टेशन रोड, नीमच (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई एवं इसी दिनांक 01-04-2020 को श्री संजय चौपड़ा पुत्र श्री शांतिलालजी चौपड़ा निवासी- बंगला नं. 37, शांति निकेतन, जैन कॉलोनी, नीमच (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फॉर- एम. एस. सोया इंडस्ट्रीज,
सिद्धार्थ चौपड़ा S/o संजय चौपड़ा,
संजय चौपड़ा S/o शांतिलाल जी चौपड़ा,
रेणु चौपड़ा W/o संजय चौपड़ा,
(भागीदार).

(321-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि "मे. राधेश्याम हरिगोपाल जीनिंग फैक्ट्री" खंडवा का निर्माण दिनांक 19-06-1978 को किया गया था. जिसमें एक भागीदार श्री राधेश्याम पिता रामप्रसाद अग्रवाल का देहावसान दिनांक 02-12-2019 को हो जाने से दिनांक 21-12-2019 को फर्म के नवीन भागीदार के रूप में श्रीमती ममता पति राजेंद्र कुमार अग्रवाल, आयु 50 वर्ष को फर्म में जोड़ा गया है. अतः दिनांक 21-12-2019 से फर्म के भागीदार इस प्रकार रहेंगे- 1. हरिगोपाल पिता रामप्रसाद अग्रवाल, आयु 81 वर्ष, 2. राजेंद्र कुमार पिता राधेश्याम अग्रवाल, आयु 54 वर्ष, 3. संजय कुमार पिता हरिगोपाल अग्रवाल, आयु 47 वर्ष एवं 4. श्रीमती ममता पति राजेंद्र कुमार अग्रवाल, आयु 50 वर्ष, सभी निवासी- इंदौर रोड, पड़ावा, खंडवा (म.प्र.), सो सूचना जानें.

वास्ते- राधेश्याम हरिगोपाल जीनिंग फैक्ट्री,
1. हरिगोपाल पिता रामप्रसाद अग्रवाल,
2. राजेंद्र कुमार पिता राधेश्याम अग्रवाल,
3. संजय कुमार पिता हरिगोपाल अग्रवाल,
4. ममता पति राजेंद्र कुमार अग्रवाल,
(पार्टनर).

(323-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स कूकेप मेटकोन (Coucap Matcon) पता-104, मंगल मूर्ति, 169 गीता नगर इंदौर मध्यप्रदेश, पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0310/20, दिनांक 23-03-2020 जिसमें प्रारंभिक भागीदार श्रीमति शिखा दवेदी और राजन शर्मा थे. इसके पश्चात् फर्म में श्री राहुल ठाकुर भागीदार के रूप में दिनांक 20-03-2019 को विधिवत रूप से सम्मिलित हुए हैं. वर्तमान में फर्म में अब तीन भागीदार श्रीमति शिखा दवेदी, श्री राजन शर्मा और श्री राहुल ठाकुर है जो की भागीदार के रूप में कार्य का संचालन करते रहेंगे.

आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

मेसर्स कूकेप मेटकोन,
शिखा दवेदी, राजन शर्मा,
राहुल ठाकुर,
(भागीदार).

(326-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि " मे. श्री दादाजी स्टेन क्रशर" खंडवा का दिनांक 22-12-2017 को निर्माण किया गया था. जिसमें निम्न भागीदार थे. 1. रोहित कुमार परचानी, 2. पंकज कुमार मोकाती एवं 3. रितेश शर्मा तत्पश्चात् दिनांक 28-12-2018 को उक्त

फर्म में दो नये भागीदारों को जोड़ा गया है, जिनके नाम- 1. आकाश नेभनानी एवं 2. अनुज नेभनानी है. अतः दिनांक 28-12-2018 से फर्म में भागीदार इस प्रकार रहेंगे. 1. रोहित कुमार परचानी पिता श्री राजेश कुमार परचानी, 2. पंकज कुमार मोकाती पिता श्री मोहनलाल मोकाती, 3. रितेश शर्मा पिता श्री हरिश शर्मा, 4. आकाश नेभनानी पिता श्री चुन्नीलाल नेभनानी एवं 5. अनुज नेभनानी पिता श्री अर्जुनदास नेभनानी. सो सूचना जानें.

वास्ते- श्री दादाजी स्टोन क्रशर,
1. रोहित कुमार परचानी,
2. पंकज कुमार मोकाती,
3. रितेश शर्मा,
4. आकाश नेभनानी,
5. अनुज नेभनानी,
(पार्टनर).

(327-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म टोडरमल सुफारिशमल माधवचौक ए.बी. रोड, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक A.R.G./Firms/06 दिनांक 24-05-2000 है में उक्त फर्म से श्री अमानमल जी जैन पुत्र स्व. टोडरमल जैन का स्वर्गवास दिनांक 24-02-2008 को हो जाने से वे दिनांक 25-02-2008 में फर्म से प्रथक हो गये एवं दिनांक 25-02-2008 से श्री पुनीत जैन पिता श्री मुकेश जैन, निवासी कोर्ट रोड श्वेताम्बर जैन मंदिर के पास, जिला शिवपुरी को फर्म में सम्मिलित किया गया.

आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है.

फर्म-टोडरमल सुफारिशमल,
मुकेश जैन,
(भागीदार).

पता- माधवचौक एवं बांसखेड़ी ए.बी. रोड,
जिला शिवपुरी.

(329-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रसन एण्ड कंपनी फर्म जिसका पता- यु जी 4, बी.सी.एम. सिटी, नवलखा ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0054/20 दिनांक 21-08-2020 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री राजेश कुमार बादलचंद मेहता कर्ता एच. यू. एफ. पिता स्व. श्री बादलचंद मेहता, 2. श्री राजेश पिंचा पिता स्व. श्री सोहनलाल पिंचा थे. तत्पश्चात् दिनांक 01/04/2008 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अपूर्व डोशी पिता श्री सुशील डोशी एवं 2. श्री सुशील कुमार जैन पिता श्री निरंजनलाल जैन भागीदारी फर्म मेसर्स प्रसन एण्ड कंपनी में सम्मिलित हो गए हैं. तत्पश्चात् दिनांक 01/04/2015 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री राजेश पिंचा पिता स्व. श्री सोहनलाल पिंचा भागीदारी फर्म मेसर्स प्रसन एण्ड कंपनी से पृथक हो गये हैं भागीदार ने फर्म मेसर्स प्रसन एण्ड कंपनी से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. तत्पश्चात् दिनांक 17-03-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री आदर्श मेहता पिता श्री अरुण मेहता, भागीदारी फर्म मेसर्स प्रसन एण्ड कंपनी में सम्मिलित हो गए हैं. तथा फर्म का पंजीकृत कार्यालय यू. जी. 21, बी.सी.एम. हाईट, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इंदौर हो गया है.

यह विदित हो.

तर्फे- मेसर्स प्रसन एण्ड कंपनी,

1. राजेश कुमार बादलचंद मेहता कर्ता एच. यू. एफ.,
2. अपूर्व डोशी, 3. सुशील कुमार जैन, 4. आदर्श मेहता,
(पार्टनर).

(330-बी.)

PUBLIC NOTICE

U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s. Oasis Garden & Resorts, Registered Office at 31/4 New Palasia, Indore (M.P.) and Registration No is 03/27/01/0104/17 dated 11/07/2017, which was

constituted vide Partnership deed executed on 06/06/2017. In this partnership firm subsequently following changes have occurred on 31st July 2020 1. Shri Ramniwas Mittal S/o Shri Amarnath Mittal, 2. Smt. Anita W/o Shri Ramniwas Mittal, 3. Shri Abhishek Mittal S/o Shri Ramniwas Mittal and 4. Smt. Divya Mittal W/o Shri Abhishek Mittal voluntarily retired from the partnership firm and Shri Tapan Khandelwal S/o. Shri Kailash Chand Khandelwal have joined the firm as a new Partner.

Now 1. Shri Kailash Chand Khandelwal, 2. Smt. Kanta Kahndelwal and 3. Shri Tapan Khandelwal are the running Partners in the Partnership firm. Now firms address also have been changed from 31/4 new palasia Indore to 191/2/1/2, A.B. Road, by pass, Nipania Indore M.P.

FOR- M/s. Oasis Garden & Resorts,
KAILASH CHAND KHANDELWAL,
(Partner).

(332-B.)

विविध आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 33/2020/CLR/भू-सर्वेक्षण/2020.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम-10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :--

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	खरगौन	गोगाँवा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2.	खरगौन	महेश्वर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3.	खरगौन	सनावद	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4.	खरगौन	बड़वाह	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5.	खरगौन	कसरावद	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6.	खरगौन	खरगौन नगर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7.	खरगौन	खरगौन	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8.	खरगौन	भीकनगाँव	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र

1	2	3	4	5	6
9.	खरगौन	सेंगांव	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
10.	खरगौन	भगवानपुरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
11.	खरगौन	झिरन्या	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र

(1092)

ग्वालियर, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 34/2020/CLR/भू-सर्वेक्षण/2020.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम-10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं.

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	सागर	खुरई	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2.	सागर	बन्डा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3.	सागर	रहली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4.	सागर	गढ़ाकोटा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5.	सागर	बीना	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6.	सागर	देवरी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7.	सागर	केसली	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8.	सागर	मालथौन	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9.	सागर	शाहगढ	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र

(1093)

ग्वालियर, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 35/2020/CLR/भू-सर्वेक्षण/2020.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम-10

के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं।

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./ सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	भोपाल	बैरसिया	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2.	भोपाल	हुजूर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3.	भोपाल	कोलार	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र

Dnyaneshwar Bhalchandra Patil,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1094)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी उज्जैन, जिला उज्जैन

प्र.क्र.0003/बी-113/19-20.

उज्जैन, दिनांक 25 सितम्बर, 2020

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5-की उपधारा (2)]

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

क्र./रीडर-2/2020/1518.—चूंकि आवेदक सचिव प्रवीण पिता कांतीलाल ओरा द्वारा श्री ओसवाल बडें साथ पंचायत शहर, उज्जैन पंजीकृत कार्यालय 20, श्रीपाल मार्ग, पथ क्रमांक 01, रंग महल, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को प्रातः 10:00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम : “ श्री ओसवाल बडें साथ पंचायत शहर, उज्जैन न्यास”

कार्यालय	:	20, श्रीपाल मार्ग, पथ क्रमांक 01, रंग महल, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	रामचंद्र सेठ की गली स्थित भवन क्रमांक 04 वर्तमान मूल्य 30,00,000 रुपये.
चल सम्पत्ति	:	आवेदन के साथ संलग्न बैलेंसशीट में उल्लेखित चल सम्पत्ति का मूल्य 17,44,580 दर्शाया गया है.

(1083)

आर. एम. त्रिपाठी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र.01/बी-113/2020-21.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम-1 के अन्तर्गत]

जैसा कि (महाराष्ट्र समाज भवन ट्रस्ट) द्वारा श्रीमती नीला करंबेकर ट्रस्टी, निवासी-बी-108, डी. के. सुरभि अपार्टमेंट, नेहरूनगर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 23-09-2020 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम : महाराष्ट्र समाज भवन ट्रस्ट.
(कार्यालय तुलसीनगर, भोपाल).
2. अचल सम्पत्ति : निल.
3. चल सम्पत्ति : निल.

आज दिनांक 08 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(1082)

विनीत तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयन लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंदसौर

प्र.क्र.2073/बी-113(1)/2020-21/.

मंदसौर, दिनांक 20 अगस्त, 2020

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2), लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) के अन्तर्गत]

पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष.

2. चूंकि "श्री शिव शंकर ट्रस्ट स्नेह नगर के पास मंदसौर" द्वारा मुख्य न्यासधारी-1, अध्यक्ष श्री लोकेन्द्रसिंह झाला पिता मोहनसिंह झाला, निवासी मंदसौर, 2. सचिव-जितेन्द्र पिता अशोक पंवार, निवासी मंदसौर में मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, सुश्री अंकिता प्रजापति, पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 20-08-2020 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत

करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियम पेशी दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

सम्पत्ति का विवरण:- ट्रस्ट की सभी चल/अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छायाप्रतियां संलग्न हैं. निम्न प्रकार हैं:-

1. ट्रस्ट की चल/अचल सम्पत्ति निरंक है.

लोक न्यास का नाम : “श्री शिव शंकर ट्रस्ट श्री जी नगर स्नेह नगर के पास मंदसौर”.

(1084)

अंकिता प्रजापति,
अनुविभागीय अधिकारी (उपखण्ड).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल, (सामान्य) वनमण्डल, बैतूल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.) का पत्र क्र./696, दिनांक 29 मई, 2020 तथा 788, दिनांक 30 जून, 2020 एवं परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) का पत्र क्र./577, दिनांक 26 मई, 2020 तथा 709, दिनांक 24 जून, 2020 अनुसार दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल अन्तर्गत ताप्ती वन परिक्षेत्र की ईटिया-बिटिया बीट को आवंटित शासकीय बीट हेमर बीटगार्ड, ईटिया-बिटिया श्री शिवनाथ वाघमारे (वनरक्षक) एवं सुरक्षा श्रमिक श्री राजेश हरसुले, ग्राम गोनीघाट के हमराह दिनांक 22 मई, 2020 को वनक्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान उनकी लापरवाही के कारण थैले से गिर कर गुम हो गया. बीट हेमर की उनके द्वारा खोजबीन की गई किन्तु उक्त बीट हेमर नहीं मिला. बीटगार्ड ईटिया-बिटिया द्वारा हेमर गुम होने की सूचना परिक्षेत्र कार्यालय ताप्ती (सा.) तथा थाना प्रभारी चिचोली को लिखित शिकायत दिनांक 23 मई, 2020 को दी गई हेमर खोजने के सभी प्रयास किये गये लेकिन हेमर नहीं मिला. ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया कि उक्त हेमर को अपलेखित किया जावे.

श्री शिवनाथ वाघमारे (वनरक्षक) बीटगार्ड ईटिया-बिटिया की घोर लापरवाही एवं उदासीनता के कारण हेमर गुम हुआ है.

निष्कर्ष :-

प्रकरण का समग्ररूपेण अध्ययन करने पर हेमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रख-रखाव में लापरवाही बरतना वनरक्षक का कृत्य पाया जाता है. अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि:-


आदेश

बैतूल, दिनांक 24 सितम्बर, 2020

क्रमांक/मा.चि/02.—वन वित्तीय नियम की धारा-124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नांकित आकृति के बीट हेमर को अपलेखित किया जाता है तथा श्री शिवनाथ वाघमारे (वनरक्षक), बीटगार्ड ईटिया-बिटिया, परिक्षेत्र ताप्ती (सा.) से उक्त हेमर का अनुमानित मूल्य रुपये 510/- (पांच सौ दस रुपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुए उक्त गुमशुदा बीट हेमर को शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा श्री शिवनाथ वाघमारे (वनरक्षक), बीटगार्ड ईटिया-बिटिया को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप आगामी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोधित की जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम पुलिस थाने या वन विभाग के कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

बीट हेमर का चिन्ह :-



(1085)

पी. डी. गेब्रियल,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 18 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/823:—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962

की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1415, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	विकास खण्ड
1	2	3	4
1.	बाबा रामदेव बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., मालेगांव	1751/14-07-2014	भैंसदेही
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कुण्डई	1495/20-12-2004	मुलताई

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) को उपयोग में लाते हुए मैं, राजेश वडयालकर, परिसमापक सहकारी संस्थाएं बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

राजेश वडयालकर,
परिसमापक.

(1072)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 18 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/824:—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/189, दिनांक 27 जनवरी, 2020 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	विकास खण्ड
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., रतनपुर	1567/10-09-2007	भीमपुर
2.	जय बडादेव जैविक खाद बीज उत्पा. क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., केकडियाखुर्द.	1823/06-10-2015	भीमपुर

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) को उपयोग में लाते हुए मैं, युवराज ठाकरे, परिसमापक सहकारी संस्थाएं बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी/ग) के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

युवराज ठाकरे,
परिसमापक.

(1078)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 21/28 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-18(1),(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/761.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1399/रायसेन, दिनांक 18 सितम्बर, 2001 के द्वारा प्राथमिक

सूर्या कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सलामतपुर, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 546, दिनांक 11 अप्रैल, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री आर. एस. रघुवंशी, वरि. सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99, पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित सूर्या कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सलामतपुर, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 546, दिनांक 11 अप्रैल, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1087)

रायसेन, दिनांक 21/28 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-18(1),(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/763.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1399/रायसेन, दिनांक 18 सितम्बर, 2001 के द्वारा प्राथमिक विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 383, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री आर. एस. रघुवंशी, वरि. सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99, पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, विकासखण्ड साँची, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 383, दिनांक 11 दिसम्बर, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1088)

रायसेन, दिनांक 21/28 सितम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-18(1),(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/764.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1399/रायसेन, दिनांक 18 सितम्बर, 2001 के द्वारा हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 21 जनवरी, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री आर. एस. रघुवंशी, वरि. सहकारी निरीक्षक द्वारा किया गया है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1)(2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99, पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापित हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन जिसका पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 21 जनवरी, 1982 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

मीना डाबर,

उप-पंजीयक.

(1089)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भापाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020-आश्विन 24, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम मेघाच्छादित रहा. राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8							9			10	
33.	खरगौन :		.. पर्याप्त	ज्वार	कपास	तुअर	कम	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वाह	मक्का	सोयाबीन	मूँगफली	अधिक
		महेश्वर
		सेगांव	13.0
		खरगौन	2.2
		गोगावां	47.4
		कसरावद
		भगवानपुरा	3.0
		भीकनगांव
		सनावद
		झिरन्या	10.0
34.	बड़वानी :		.. पर्याप्त	मक्का	गन्ना	..	सामान्य	5.अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बड़वानी	ज्वार	सामान्य
		ठीकरी	6.0	सोयाबीन	सामान्य
		राजपुर	कपास	सामान्य
		सेंधवा	17.0	अन्य	सामान्य
		पानसेमल
		पाटी	2.0
		अंजड
		बरला
		निवाली
35.	खण्डवा :		.. पर्याप्त	सोयाबीन	अधिक	2%	सामान्य	..	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
		खण्डवा	86.0	कपास	मूँगफली	तुअर
		पुनासा	धान
		खालवा	मक्का
		पंधाना	8.0
		हरसूद
36.	बुरहानपुर :		कपास	अधिक	2%	समान	..	5. ..	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
		बुरहानपुर	19.4	सोयाबीन	कम	5%	सामान्य
		खकनार	1.0	ज्वार	कम	2%	सामान्य
		नेपानगर	13.0	मक्का	अधिक	5%	सामान्य

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		16.0 पर्याप्त	धान	अप्राप्त	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		15.1
	लाँजी	
	किरनापुर		20.0
	बैहर		6.3
	वारासिवनी		5.8
	कटंगी	
	लालबर्वा		5.0
	तिरोडी		60.0
	परसवाड़ा		6.6
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

(1081)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.